को पेश हो।

२०।११।२४ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं। स्वयं वादी श्री अनुपस्थित। वकील वादी स्वयं वादी को रुक-रुक कर आवाजें लगाई। आवाजें लगाने के बावजूद वादी/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। लिहाजा वाद वादी वकील वादी की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कार्यालय में मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner